केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
करनाल–132001.

टैण्डर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, (ज़रीफा फार्म) काछवा रोड़, करनाल के अनुसंधान फार्म पर बहुउद्देशिय कृषि मॉडल खेती को वैज्ञानिक विधि तथा उनकी देख–रेख (Supervision) के अनुसार करने के लिए ठेके पर देने के लिए टैण्डर आमंत्रित किए जाते है।

क.सं.	नाम	मात्रा	धरोहर राशि
1.	बहुउद्देशिय कृषि मॉडल खेती	2 हैक्टेयर यानि 5 एकड़	10,000/–

सुबह 9.30 बजे से सायं 5.00 बजे तक पी0आई0, मल्टीइन्टरप्राईजिज प्रौजैक्ट से मिलकर किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त विषय पर जानकारी ली जा सकती है। टैण्डर विस्तृत शर्तो के साथ इस संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन की तिथि से सभी कार्य दिवस में 100/–रूपये के मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। मोहरबन्द टैण्डर, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, काछवा रोड़, ज़रीफ़ा फार्म, करनाल के पास **25.06.2011 को दोपहर 12.00 बजे** तक टैण्डर फार्म लिए जा सकते है तथा 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये केवल) की धरोहर राशि जोकि बैंक ड्राफट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इकाई, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के नाम देय हो के साथ **2.30 बजे** तक टैण्डर बाक्स में पहुँच जाने चाहिए। टैण्डर उसी दिन दोपहर बाद **3.00 बजे** खोले जाएगें।

निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल कोई कारण बताए बिना किसी टैण्डर को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

प्रशासनिक अधिकारी
टेलिफोन न0. 0184–2291156

केन्द्रीय मृदा लवणत अनुसंधान संस्थान, करनाल–132001

टैण्डर न0. 04/2011

टैण्डर की शर्ते

बहुउद्देशिय कृषि मॉडल खेती (2 हैक्टेयर) यानि 5 एकड़ को वैज्ञानिक विधि अनुसार करने हेतु ठेके पर देने के लिए नियम एवं शर्ते

1. ठेकेदार को बहुउद्देशिय कृषि के सभी फसल एवं जानवर सबंधित घटक, संस्थान के सुपरवाइजर की देख–रेख में उसकी सलाह के अनुसार लगाने होंगे। बहुउद्देशिय कृषि के घटक निम्नलिखित है।

बहुउद्देशिय कृषि के घटकः–

(1) अन्न उत्पादन (0.8 हैक्टेयर)

i) धान–गेहूँ फसल प्रणाली (0.2 हैक्टेयर)

ii) मक्का–गेहूँ–मूंग फसल प्रणाली (0.2 हैक्टेयर)

iii) अरहर–सरसों–चारा मक्की फसल प्रणाली (0.2 हैक्टेयर)

iv) सोयाबीन –मक्का फसल प्रणाली (0.2 हैक्टेयर)

(2) चारा उत्पादन (0.4 हैक्टेयर) – ज्वार एवं बरसीम

(3) सब्जी उत्पादन (0.2 हैक्टेयर) – टमाटर, घीया, खीरा, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि।

(4) फल (अमरूद) एवं सब्जी उत्पादन (0.2 हैक्टेयर) – टमाटर एवं भिंडी

(5) फूल उत्पादन (0.2 हैक्टेयर)–ठेकेदार अपनी इच्छा से कोई भी फसल प्रणाली लगा सकता है।

(6) मछली उत्पादन (0.2 हैक्टेयर)

– तालाब की मुंडेर पर फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, केला, आँवला एवं करौंदा लगा है तथा इनके बीच खाली स्थान पर मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, मूली, गोभी, भिंडी, कददू, तुराई, लौकी आदि उगाई जानी है।

(6) अन्य :–

i) पशुपालन (3 भैंस, 1 गाय, 1 कटडी, 1 कटडा एवं 1 बछडी)

ii) बत्तख पालन (7 बत्तख एवं 10 चूजे)– बत्तखो की देखबाल ठेकेदार को करनी होगी तथा इनका राशन संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा। बत्तखो की बिक्री ठेकेदार नहीं करेगा।

iii) कम्पोस्ट उत्पादन

iv) जैविक गैस

v) मधुमक्खी पालन (6 बोक्स)

इसके अलावा ठेकेदार एक या दो कोई अन्य घटक, संस्थान के सुपरवाइजर की सलाह से कर सकता है।

2. फसलों एवं जानवरो का प्रबंधन संस्तुत की गई तकनिक के अनुसार करना होगा।

3. खेत की जुताई एवं सामान की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर ठेकेदार को संस्थान की तरफ से डीजल खर्च के आधार पर उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। डीजल खर्च प्रति घन्टे या प्रति एकड का हिसाब फार्म प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4. फसलो की सिंचाई एवं जानवरो के लिए पानी संस्थान की तरफ से बिजली के बिल के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। इस ट्यूबवैल से कुल 25 एकड की सिचाई की जाती है जिसमें से इसका 20 प्रतिशत (5 एकड) बहुउदेशीय खेती का भाग है इसलिए इस ट्यूबवैल के बिजली के बिल का 20 प्रतिशत पैसा ठेकेदार को प्रतिमाह देना होगा।

5. मछली का बीज डालने से लेकर बेचने तक की सभी बाते मछली संबघित संस्थान के सुपरवाइजर की सलाह से करनी होगी।

6. शहद, मछली, सब्जी एवं दूघ को बेचने की दरें एक समिति जिसमें पी. आई. बहुउद्देशिय कृषि, फार्म ओ. आई. सी. /फार्म प्रबन्धक एवं ठेकेदार सदस्य होगें की सलाह से निर्धारित की जायेगी तथा इनको संस्थान के कर्मचारियों को `पहले आओ–पहले पाओ` की तर्ज पर बेचा जायेगा तथा शेष उत्पाद ठेकेदार अपनी इच्छा से कहीं भी बेच सकता है।

7. जानवरो का बीमां संस्थान की तरफ से कराया जायेगा। जानवरो से पैदा होने वाले कटडा/कटडी और बछडा/बछडी संस्थान की धरोहर होंगे। जानवरो की देख–रेख, बीमारी से बचाव, खान–पान आदि का प्रबन्धन ठेकेदार संस्थान के सुपरवाइजर की सलाह से करना होगा। आवश्यकता पडने पर कटडे या बछडे को निदेशक महोदय की स्वीकृती के बाद बेचा जा सकता है तथा इससे प्राप्त आय संस्थान की होगी।

8. मधुमक्खी पालन को आगे बढाने का निरन्तर प्रयास करते रहना होगा एवं उनकी देख–रेख कीडों एवं बिमारियों से बचाव, आदि संस्थान के सुपरवाइजर की सलाह से करना होगा।

9. आंधी, तूफान, औलावृष्टि एवं अन्य पर्यावरण से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

10. बहुउद्देशिय कृषि में उपस्थित सभी फसलों, मछली एवं जानवरो की सुरक्षा कि जिम्मेंदारी ठेकेदार की होगी। कोई भी चोरी होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।

11. बहुउद्देशिय कृषि के क्षेत्र में पडने वाले रास्तों, ढोलों एवं नालियों की साफ–सफाई, संस्थान के सुपरवाइजर के कहने पर करनी होगी।

12. ठेकेदार को बहुउद्देशिय कृषि में होने वाली आय एवं लागत का पुरा हिसाब संस्थान के सुपरवाइजर को देना अनिवार्य होगा।

13. बहुउद्देशिय कृषि में होने वाली कम्पोस्ट का उपयोग ठेकेदार फल एवं संब्जी उत्पादन के लिए करेगा एवं इसको बेच नही सकता। जैविक गैस का उपयोग ठेकेदार अपने परिवार का खाना बनाने के लिए कर सकता है।

14. ठेकेदार को संस्थान के सुपरवाइजर के अनुसार काम नहीं करने पर उसका ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

15. ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध संसाधनों या अन्य किसी भी वस्तु के नुकसान होने पर उसकी भरपाई संस्थान के निदेशक की सहमती से कमिटी (पी. आई. बहुउद्देशिय कृषि, फार्म ओ. आई. सी. /फार्म प्रबन्धक एवं ठेकेदार) द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर करनी होगी।

16. बहुउद्देशिय कृषि में होने वाले उत्पाद को संस्थान के बाहर गेट पास के माध्यम से जाने दिया जायेगा।

17. ठेका छोडने के लिए सीलबंन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। इसके लिए निविदा फार्म संस्थान के कार्यालय से 100/–रू में उपलब्ध होगा। सीलबन्द निविदा के साथ 10,000/–रुपये का बैंक डिमाडं ड्राफ्ट निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसधांन सस्थान, करनाल के नाम से धरोहर राशी के रुप में जमा कराना होगा। ठेका छुटने के बाद उच्चतम् बीडर की धरोहर राशी संस्थान में जमा कर ली जायेगी तथा अन्य बीडरो की धरोहर राशी वापिस कर दी जायेगी।

18. उच्चतम् बीडर को ठेका छुटने के बाद 50 प्रतिशत राशी 10 दिन के अन्दर जमा करानी होगी। यदि राशी 10 दिन के अन्दर जमा नहीं करायी तो उसको बिना सूचित किए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी धरोहर राशी जब्त कर ली जायेगी। शेष 50 प्रतिशत राशी 6 महिने के अन्दर–अन्दर जमा करानी होगी। तथा शेष 50 प्रतिशत राशी 6 महिने के अन्दर जमा नहीं करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

19. कार्यालय समय के बाद बहुउद्देशिय कृषि फार्म पर ठेकेदार एवं उसके परिवार के सदस्य ही रह सकते हैं।

20. ठेकेदार को सभी बहुउद्देशिय कृषि के घटको की जानकारी होना आवश्यक है।

21. बहुउद्देशिय कृषि क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की असामाजिक व असैंवधानिक कियाएं नही होनी चाहिए अन्यथा ठेका निरस्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

22. ठेकेदार बहुउद्देशिय कृषि के ठेके को सबकोन्ट्रेक्ट पर नही दे सकता है।

23. बहुउद्देशिय कृषि को एक वर्ष की अवधी के लिए ही ठेके पर दिया जायेगा।

24. संस्थान के निदेशक द्वारा बिना कारण बताये ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

25. निदेशक महोदय की स्वीकृती के बाद ही ठेका पूर्ण माना जायेगा।

मैनें उपरोक्त सारी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है और इन्हें मंजूर करते हुए प्रति एकड़...................................रूपये (रूपये..)में लेने के लिए तैयार हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर..

नाम व पूरा पता...

....

टेलीफोन न0:...